

FORM VII

Revised Certificate of Registration issued under Section 9(4) of the Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012 upon allotment of a New Registration Number (See Sub-Rule (2) of Rule 8)

Revised Certificate of Registration of Society

I hereby certify that Triveni Dham Gaushala Samiti Registered vide registration number 230 on 31-03-2011 Registered with District Registrar, Firms & Societies, Palwal (Haryana) has been allotted a New Registration Number as under mentioned on this 15th May 2015 under the Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012 (Haryana Act No. 1 of 2012).

State Code		District Code			Year of Registration			tion	Registration Number				
Н	R	0	2	1	2	0	1	5	0	0	6	1	9
Name of the Society					Registered Office Address								
TRIVENI DHAM GAUSHALA SAMITI						Vill. & P.O. Gehlab, Tehsil Hathin, Distt. – Palwal, Haryana							

Issued under my hand at Palwal on this 15th May, 2015.

Seal:

Station : Palwar

District Registrat of these & Secretics

सोसाइटी का 'संगम ज्ञापन'

सांसाइटी का नाम

TRIVENI DHAM GAUSHALA SAMITI

सोसाइटी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता

गांव व डाकरवाना - गहलब, तहसील हथीन

जिला पलवल (हरियाणा)

अविकारिता

गाँव गहलब

शोसाइटी के लक्ष्य तथा उद्देश्य : 4

- गीशाला का संचालन करना, गौ वश के लिए चारे व अन्य सभी व्यवस्थाएं करना, गौशाला il का निर्माण करना व गौ वंश की वृद्धि हेतू अनेक प्रकार के कार्य करना।
- गो वंश की रक्षा हेतू हर प्रकार के कार्य करना एवं उनके लिये सायन जुटाना। iii
- गौशाला के पशुओं के दूध, गोबर, मूत्र व अन्य पदार्थों से मानव उपयोगी चीजों का निर्माण 156 करके समाज को इनके इस्तेमाल में वृद्धि के लिये प्रयास करना।
- थीभार, लाचार, बेसहारा गी वंश की सेवा हेतू हर प्रकार का प्रयास करना। iv)
- आवारा धूम रहे गौवंश को गउशाला में रखने का पूरा प्रबन्ध करना। V)
- समाज में गौवंश के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देना। (1)
- गीवंश की उपयोगिता से समाज को परिचित कराना। vii)
- गौशाला में गीतंश के उपयोग हेत् चारा, पानी एवं अन्यु व्यवस्थाएं करना। viii)
- बीमार व लाचार गीवंश की सुरक्षा हेत् हस्पताल अपने का संघालर करना। ix)
- नावश को बचाए रखने के लिये हर संभव प्रदेश करें N.
- अन्य ऐसे सभी कार्य करना, जिनका विवर्ण कपर निर्द्धिया गया है। 83)
- दान या अनुदान या अंशदान के रूप में केन्द्रीय हो स्थार, कुच सरकार, गैर सरकारी wii) अभिकरणों, धर्मार्थ ट्रस्टों वा सार्वजनिक तथा निजी वित्तीय संस्थाओं से कर्न लेते हुए िपियां लेना वा सम्पत्ति अर्जित करना। सोसाइटी के वर्तमान तथा भविष्य की निपियां, सम्पतियां, परिसम्पत्ति तथा सभी अन्य सापनों का उपरोक्त यथा कथित सोसाइटी के किसी या सभी प्रयोजनों या उद्देश्यों के लिए तथा सच्चाई तथा अहिंसा के आदशों के प्रोत्साहन में सभी अन्य समरूप गतिविधियों के लिए भी उपयोग किया जाएगा।

क्रमशा:

सोशाइटी के पदाधिकारियों के नाम जिसके प्रबन्धन कार्यों के नियत तथा उप विधियां सींपी जाती हैं, वे निम्न अनुसार हैं :

क्रांस.	नाम व पिता का नाम	पता	व्यवसाय	पदनाम हस्ताक्षर
t.	योगेन्द्र सिंह पुत्र	गांव व डाका० गहलाव	वकालत	प्रधान क्रिक्
200	श्री क्षेमराज	जिला पलवल (हरियाणा)		T.
/2	सतवीर सिंह पुत्र	गांव व डाक0 गहलब	रिटायर्ड	उपप्रधान ी कि
	श्री हरचन्दी	जिला पलवल (हरियाणा)		VIII
3.	राजंश पुत्र	गांव व डाक० गहलब	समानसेवा	सचिव ४१८५ म
0.80	औ हरप्रसाद	जिला पलवल (हरियाणा)		49
14.	विजेन्द्र ग्रसाद पुत्र	वार्ड नं० ६. हथीन	अध्यापक	कोषाध्यक्ष - ०५ ००
	श्री सिल्लन राम	िंाला पलवल (हरियाणा)		वालका १८०० स
5.	सुमील पुत्र	गांव व डाक0 गहलब	कृषि	सदस्य 💚
	भी विद्यान सिंह	िंाला पलवल (हरियाणा)		1.1
ű.	शिव युगार पुत्र	गाव व डाक0 गहलब	कृषि	सवस्य ८ किमि
	ी महस्यद	जिला पलवल (हरियाणा)		1,0
7.	शोगेनः सिंह पुत्र	गांव व डाक० गहलब	कृषि	सदस्य १ मी (१६)
	ी अववार सिंह	जिला पलवल (हरियाणा)		1,80

उपर्युक्त व्यक्तियों ने हमारी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं -

भवाह नं. 1	गवाह नं. 2
सस्तावारःस्ट्री.स्ट्रास्ट्रासः	हस्ताक्षर
नाम व पता. मिर्शासिकार	नाम व पता
THE FOREST DISCHA	SUN 3500 - 31 E010
Enter Transport Elevior	Sales Est. Hotale
иприят ОН МОУ	्रि व्यवसाय रे हिन्दि है जिस है जिस है है
	(((()))
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	The the sound of
	A A Tartage CODY

Certifica to be true

Dist. Registrar Firms & Societies Palwal (Haryana)

TRIVENI DHAM GAUSHALA SAMITI, V.P.O. GEHLAB (PALWAL)

आगसमा के सभी सदस्यों की सूची

क्र.स्र	नाम व पिता का नाम	पता	व्यवसाय
7.	वाबा नेमदास पुत्र	गांव फुलवाडी,	समाजसेवा
	श्री कालीदास	जिला पलवल	
2.	योगेन्द्र सिंह पुत्र	गांव व डाक० गहलब	वकालत
	शी हेमराज	जिला पलवल (हरियाणा)	
3.	कृष्ण पाल तंपर पुत्र	गांव तिगरा, सैक्टर 56	कृषि
	श्री फूल चन्द तंबर	ग्डगांव	
4.	राजेश पुत्र	गांव व डाक० गहलब	समाजसेवा
	श्री हरप्रसाद	जिला पलवल (हरियाणा)	
5.	सर्वीश पुत्र	आदर्श नगर, पलवल	रिटायर्ड
	श्री सौदान सिंह	जिला पलवल	
ő.	गरवीर पुत्र	गांव व डाक० गहलब	कृषि
	श्री फतेराम	जिला पलवल	
7.	महेन्य पुत्र	गांव व डाक० गहलब	कृषि
	श्री खुशीराम	जिला पलवल	
8.	सुनील पुत्र	गांव व डाक० गहलब	कृषि
	श्री डिव्पन सिंह	जिला पलवल (हरियाणा)	
9.	शिव नुमार पुत्र	गांव व डाक० गहलब	कृषि
	श्री प्रास्ताव	जिला पलवल (हरियाणा)	
70.	सन्तरीर सिंह पुत्र	ाांव व डाक० गहलब	रिटायर्ड
	शी हरचन्दी अपदा रिस	भाव व डाका महलब	
77.	विजेन्द्र प्रसाद प्रेत	वार्ड नंव ६, हथीन	अध्यापक
	थी सिल्लन सम	विला पलवल (हरियाणा)	
12.	योगेन्द्र सिंह गुत्र	गाँव व डाका गहलब	कृषि
	श्री अवतार सिंह	जिला पलवल (हरियाणा)	

and the same of th

2104 ET

विशेष प्रसाद

Certified to be true copy

Distt Revisimir

Paivor (11652

सोसाइटी की उप-विधियां

ा. सोसाइटी का नाम

TRIVENI DHAM GAUSHALA SAMITI

 सोसाइटी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता गांव व डाकस्वाना – गहलब, तहसील हथीन जिला पलवल (हरियाणा)

3. सदस्यताः

- (क) सोसाइटी में सभी प्रकार के सदस्यों सहित अधिकतम सदस्य संख्या एक सी तक होगी।
- (स्व) सदस्यता हेतु पात्रता : सोसाइटी के सदस्य के रूप में प्रवेश किए जाने के उद्देश्य से व्यक्ति –
 - (i) प्रवेश की तिथि को 21 वर्ष की आयु का होना चाहिए,
 - (ii) सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों में अंशदान करना चाहिए.
 - (iii) प्रवेश फीस तथा वार्षिक अंशदान फीस जमा करने चाहिएं,
 - (iv) दिवालिया तथा विकृत चित नहीं होना चाहिए,
 - (v) एक वर्ष या अधिक के काराबास वाले नैतिक अधमता वाले किसी अपराध का सिद्ध दोष नहीं होना चाहिए।

(ग) सदस्यों के प्रकाट : सोसाइटी में निम्न प्रकार के सदस्य होंगे -

- साधारण सदस्य सोसाइटी में वर्तमान में साधारण सदस्यों की कुल संख्या बारह है और वे 75 से अधिक नहीं होगी। साधारण सदस्य बनने के लिये मु0 500/-रूपये (पांच सी रूपचे मात्र) वार्षिक सदस्यता फीस का भुगतान करना होगा।
- (ii) अवैतनिक सदस्य प्रबन्ध समिति गौवंश की सुरक्षा में लगी विख्यात प्रतिभा तथा मेरिह लो अवितयों को शामिल कर सकती है या जिसकी सेवाएं सोसाइटी की लिए उत्कृष्ट सेवाएं अर्पित की या जिसके विद्यात नागरिक है, को उनकी व्यक्तिगत सहमित प्राप्त करने वाद किस सुदस्यात या अंशवान फीस के भुगतान के बिना शामिल किया जा किस में अपिक महीं होगी। अवैतनिक सदस्य वैठक में अपिक होने तथा विचार विमर्श में सहायक होंगे, किन्तु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा।

रहमध्यः

em leis

2109A

राजेश

(घ) साधारण सदस्य का वार्षिक सदस्यता शुक्क जमा कराने की अवधि :

साधारण सदस्य को वार्षिक सदस्यता शुक्क का भुगतान प्रत्येक वर्ष एक जनवरी से 31 मार्च के बीच अवश्य करनी होगी। चूककर्ता सदस्य की सदस्यता देय तिथि 31 मार्च के बाद निलम्बनाधीन समझी जाएगी तथा ऐसा सदस्य उस वर्ष की एक अप्रेल के बाद कराए गए सोसाइटी के निर्वाचनों के दौरान अपना मत डालने के हकदार नहीं होंगे। सदस्यता शुक्क का भुगतान सदस्य को डी.डी. / पे-आर्डर / चैक / बैंक ट्रांसफर/ आर टी जी एस के द्वारा करना होगा और किसी भी सूरत में नकद राशि के रूप सदस्यता शुक्क नहीं लिया जाएगा।

(ड) निष्कासित / निलम्बित सदस्यों का प्नः प्रवेश :

- वार्षिक सदस्यता शुल्क के भुगतान में चूक के कारण सदस्यता का निलम्बन भुगतान योग्य राशि पर 50/-रूपये जुर्माना सिहत चूक को चुकाने के बाद प्रबन्ध सिमिति के बहुमत के निर्णय से ही रह किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तथापि, यह बाकी के वित्तीय वर्ष के दौरान कराए गए किसी निर्याचन में अपना मत डालने के लिए पात्र नहीं होगा।
- सोसाइटी सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति जो अधिनियम की वात 22 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के निबन्धनों के अनुसार सोसाइटी के सदस्य के रूप में समाप्त, या सदस्य का निलम्बन तथा बहाली प्रबन्ध समिति के बहुमत से ही पुनः प्रवेश संगव होगा, अन्वया नहीं।
- कोई भी ऐसा सदस्य जो नैतिक अधमता के बराबर अपराध का सिद्ध दोष हो गया हो या जो किसी कदाचार के लिए जिला रिजस्ट्रार / रिजस्ट्रार या महारिजस्ट्रार के निर्देशों पर सदस्यता से हटा दिया गया है, को पुनः शामिल नहीं किया जाएगा।

(च) नया सदस्य बनने हेतू प्रवेश प्रक्रिया :

- सोसाइटी के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति का प्रदेश समय-समय पर इसकी प्रबन्ध समिति द्वारा निर्णीत किया जाएगा,
- (ii) सोसाइटी के सहस्य के रूप में इक्कुक व्यक्ति निश्चित प्रारूप में तथा विधिवत भरा हुआ तथा इस्क्रेक्शित लेगा सोसाइटी के निगमित सदस्य द्वारा अनुशासित सचिव को सम्मित इस्क्रेक्शित सिंहित आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(iii) सर्विव आवेद की जांच कूरेगा तथा उसे निर्णय के लिए प्रबन्ध समिति के सम्मुख रहोगा।

(iv) प्रवन्य देनीमृति अद्योदन को स्वीकृत या रह कर सकती है तथा इस सम्बन्ध में प्रवन्य सोमिति की निर्णय अन्तिम होगा। प्रवन्य समिति इस निर्णय के लिए कोई कारण देने हेतू बाव्य नहीं होगी।

क्रमशः

A dem

x107 4

राजेश

प्रबन्ध समिति द्वारा अनुमोदित सदस्य को सूचित किया जाएगा। उसका नाम (v) सदस्यता रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा तथा उसे सोसाइटी का पहचान पत्र जारी किया जाएगा।

(E3) प्रत्येक सदस्य को पहचान पत्र जारी करना :

सदस्य के रूप में शामिल प्रत्यंक सदस्य को सोसाइटी के व्यक्तिगत सदस्य तथा सचिव द्वारा विधियत हस्ताभरित उसके फोटो, सॉक्सेप्त ब्वीरे तथा सदस्यता प्रवर्ग वाला पहचान पत्र जारी किया जाएगा।

सदस्यता की समाप्ति :

- सदस्य के रूप में शामिल कोई व्यक्ति निम्नलिखित कारणों से सोसाइटी के सदस्य के रूप में नहीं रहेगा :
 - मृत्यु होने, त्यागपत्र देने और उसकी स्वीकृति पर :
 - साधारण सदस्य द्वारा निर्धारित रामयावधि के अन्तर्गत वार्षिक सदस्यता शुल्क जमा नहीं कराने पर :
 - (iii) अधिनियम की धारा 22 में अन्तर्विष्ट उपवन्तों को आकर्षित करने,
 - सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के प्रतिकूल कार्य करने, (iv)
 - सोसाइटी की निधियों का वित्तीय गबन का दोषी पाए जाने, (v)
 - (Vi) जिला रजिस्ट्रार /रजिस्ट्रार/ महा रजिस्ट्रार द्वारा हटाने के लिए अभ्यारोपण तथा निदेशनों पर.
 - अवैतानिक सदस्य सोसाइटी के सदस्य के रूप में समाप्त हो जाएगा, यदि प्रबन्ध (vii) समिति इस निमित संकल्प पारित करते हुए ऐसा निर्णय करती है।
 - यदि कोई सदस्य निर्धारित अवधि में सदस्यता शुल्क जमा गहीं कराएगा तो उसकी सदस्यता एक वर्ष के लिये निलम्बित समझी जावेगी और वदि लगातार किसी सदस्य की दो वर्ष तक सदस्यता शुल्क जमा नहीं होगा तो उसकी सदस्यता तरना प्रभाव से समाप्त समझी जाएगी।

सदस्यता से बर्खास्त करने की प्रक्रिया :

यदि सोसाइटी का कोई सदस्य किसी नियम का उल्लंघन करता है या प्रबन्ध समिति के सदस्यों के साथ दुर्वबहार करता है या सोसाइटी की किसी सम्पत्ति पर कब्जा करता है या किसी अन्य को केन्जा करोने में सहयोग करता है या सोसाइटी के उदेश्यों के विरुद्ध कार्य करता है ती संचित्र द्वारा ऐसे सदस्य को पंजीकृत डाक या स्वयं या प्रबन्ध समिति का नामांकित कोई भी संदस्य द्वारा व्यक्तिगत रूप से नोटिस दिया जाएगा और उसकी सनवाई हेत् प्रवन्ध समिति की बैटक बुलाकर उस सदस्य को व्यक्तिगत सनवाई का मीका दिया जाएगा और यदि प्रबंध समिति उसके द्वारा बताए गए तथ्यों / स्नवाई से सन्तृष्ट नहीं होगी तो तरन्ते प्रभाव से उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जावेगी। प्रबन्ध समिति का निर्णय अन्तिम होगा। आगामी आमसभा की मीटिंग में इस निर्णय की पृष्टि के पश्चात सदस्यता रजिस्टर से सदस्य का नाम हटा दिया जाएगा।

राजेश

इक्सशः

सदस्यों के अधिकार तथा कर्तव्य :

- सोसाइटी के सभी सदस्य इसकी उपविधियों में यथा अन्तर्विष्ट तथा समय-समय पर संशोधित सोसाइटी के नियमों तथा विनिधमों द्वारा बाव्य होंगे,
- (ii) अवैतिनिक सदस्य के सिवाए प्रत्येक सदस्य को सोसाइटी के निर्वाचन में अपना मत डालने का अधिकार होगा, परन्तु ऐसा सदस्य सोसाइटी के किसी देवों तथा देव तिथि से आगे तीन मास की अवधि के लिए वार्षिक सदस्यता शुक्क के भुगतान में चूककर्ता नहीं होना चाहिए।
- (iii) सोटाइटी के प्रत्येक सदस्य को सात दिन का नोटिस देते हुए किसी कार्य दिवस में सोसाइटी की लेखा पुस्तकों, सामान्य बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत वाली पुस्तकों, प्रबन्ध समिति की बैठकों तथा सदस्यतों के रिमस्टर का निरीक्षण करने का अधिकार होगा.
- (iv) प्रत्येक सदस्य उसके पते में किसी परिवर्तन के बारे में सोसाइटी को सूचित करेगा जो सोसाइटी के सदस्यों के रिजस्टर में विधिवत् अभिलिखित किया जाएगा। इसके पश्चात सोसाइटी ऐसे सदस्य को नया पहचान पत्र जारी करेगी।

6. आम सभा का गठन :

- सदस्य के रूप में शामिल प्रत्येक व्यक्ति सोसाइटी की प्रबन्ध समिति के निर्वाचन के लिए अपना मत डालने के लिए जब तक हकदार होगा, तब तक वह वार्षिक सदस्यता शुल्क साहित सोसाइटी के किन्हीं देवों के मुगतान के बकायों में नहीं रहता है।
- प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप में अपना मत डालेगा तथा कोई भी प्रतिपुरूष मतदान अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

आमसभा की बैठकें , नोटिस व कोरम :

- त. सोसाइटी की आमसभा की बैठक, जब कभी अपेक्षित हो, बुलाई जाएगी। तथापि सोसाइटी की आम सभा की कम से कम एक बैठक बुलाई जाएगी जैसा कि वार्षिक सामान्य बैठक (ए जी एम) यथा अपेक्षित सोसाइटी के किसी अन्य कारोबार के संव्यवहार के अतिरिवत सोसाइटी को विधिवत लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों के विचारण तथा अंगीकरण के लिए वित्त वर्ष की समाप्ति के छह मास के भीतर एक वर्ष में बुलाई जाएगी।
- तोसाइटी की प्रबन्ध समिति था तो वह स्वयं या आमसमा के सदस्यों के कम से कम 1/10 बहुमत से ऐसी बैठक बुलाने के लिए कारणों सिहत लिखित मांग की प्राप्ति के 45 दिन के भीतर इसके अधीन बुधा विहित उदित नोटिस देने के बाद किसी समय पर सोसाइटी की आपसभा की असाधारण बैठक बुला सकती है।
- 3. आमसभा की बैठक के लिए सैक्वविद्यारित किए जाने वाले कारबार के एजेंडे की प्रति, बैठक की तिथि, समय तथा स्थान सहित कम से कम 14 दिन का स्पष्ट नोटिस सदस्यों को दिया जाएगा। ऐसे नोटिस की एक प्रति जिला रजिस्ट्रार को पृष्ठांकित की जाएगी।
- अामसभा की बैठक आमसभा को संदर्खों को बहुमत द्वारा (कुल सदस्यों का कम से कम 50 प्रतिशत से अधिक) बाँदि सहमत हों, संक्षिप्त नोटिस पर भी बुलाई जा सकती है।

क्रमशः

The same same

101 F

विजेर्न प्रसाद

- 5. आमसभा की बैठक के लिए गणपूर्ति 40 (चालीस) फीसदी सदस्यों की होगी। गणपूर्ति की कभी के लिए स्थिगत बैठक की दशा में स्थिगत बैठक के लिए गणपूर्ति कुल सदस्यों के 25 प्रतिशत से कम नहीं होगी। आमसभा किसी विशेष संकल्प के विचारण के सिवाए ऐसी स्थिगत बैठक में सभी कारबार पूरे करने के लिए सद्धम होगा। कोई विशेष संकल्प केवल ऐसी स्थिगत बैठक में पारित किया जाएगा, यदि सोसाइटी के कुल सदस्यों का कम से कम 25 प्रतिशत उपस्थित हैं.
- 6. आमसभा की सभी बैठकों की कार्यवाहियां सचिव द्वारा प्रयोजन के लिए अलग रूप से रखी गई कार्यवृत पुस्तक (बांधी गई या खुले पन्नो में) में अभिलिखित की जाएगी तथा ऐसे कार्यवृत बैठक के प्रधान तथा सोसाइटी के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे।

B. आम सभा की शवित्तयां, कृत्य तथा कर्तव्य :

- इसके लक्ष्यों तथा उदेश्यों का अवधारण करने तथा पूरा करने में गाइड करना।
- पालिसी मामलों का निर्णव करना जैसे कि सोसाइटी के नाम का परिवर्तन, सोसाइटी के संगम ज्ञापन तथा उपविधियों में संशोधन, सोसाइटी के वार्षिक लेखों का अनुमोदन, सोसाइटी इत्यादि की अवल परिसम्पतियों के निपटान के लिए अनुमोदन तथा सभी ऐसे अन्य कार्य जो हरि० सो० रजि० तथा विनियमत अधिनियम, 2012 के अधीन अपेक्षित हों।
- प्रबन्ध समिति के सदस्यों को निर्वाचित करना।
- प्रबन्ध समिति से किसी सदस्य को हटाना तथा आकस्मिक रिक्ति के विरुद्ध प्रबन्ध समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति को बनाए रखने के लिए अनुमोदन प्रदान करना।

9. प्रबन्ध समिति का गठन :

सोसाइटी की प्रबन्ध समिति में कुल सात पदाधिकारी निम्नानुसार होंगे :

क) प्रयान - एक

ख) उपप्रधान-एक

ग) सचिव – एक

घ) कोषाध्यक्ष – एक

इ) कार्यकारिणी सदस्य - तीन

10. प्रबन्ध समिति की बैठक, नोटिस व कोरम :

- प्रबन्ध समिति की बैठक जब कभी अपेक्षित हो, बुलाई जाएगी। तथापि, प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बैठक अवश्य करेगी तथा वित्त वर्ष में कम से कम चार बैठकें होंगी।
- प्रत्येक बैठक का तीन दिन का स्पष्ट नोटिस बैठक को लिए नियत तिथि से पूर्व सदस्यों को सचिव द्वारा दिया जाएगा। तथापि, प्रबन्ध समिति इसके सदस्यों के कम से कम पवास प्रति, की सहमति से जब कभी ऐसा अपेक्षित हो, संबिधा नोटिस पर बैठक कर सकता है।
- अवन्य समिति की बैठकों की गणपूर्ति कुल सदस्यों के कम से कम 40 प्रतिशत से होगी। यदि गणपूर्ति विद्यमान नहीं है, तो बैठक दूसरी तिथि के लिए स्थिगत कर दी जाएगी। जिसके लिए उदित नोटिस जारी किया जाएगा। कम से कम 25 प्रतिशत सदस्य स्थिगत बैठक के लिए गणपूर्ति करेंगे।

क्रमश:

appear Palis

alc 27

- प्रबन्ध समिति की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियां इस प्रयोजन के लिए पृथक रूप में रखी गई कार्यवाही पुस्तक में अभिलिखित की जाएगी। ऐसे कार्यवृत बैठक के प्रधान तथा सोसाइटी के सर्चिव द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे। यदि प्रधान या सर्चिव कार्यवृत पर हस्ताक्षर करने के लिए उपलब्ध नहीं हैं तो वे प्रबन्ध समिति द्वारा यथा प्राधिकृत बैठक में उपस्थित किन्हीं दो सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे।
- प्रवन्ध समिति को प्रत्येक बैठक के कार्यवृत आगामी बैठक में पृष्टि के लिए रखे जाएंगे।

11. प्रबन्ध समिति की शक्तियाँ, कृत्य तथा कर्तव्य :

- प्रवन्ध समिति सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जिम्मेवार होगी तथा सोसाइटी के सर्वोत्तम हित में कार्य करेगी, जिसके लिए इसे कथित उद्देश्यों के लिए सोसाइटी की निधियों तथा परिसम्पत्तियां के फैलाव के लिए सशक्त किया जाएगा ;
- प्रयन्च समिति द्वारा यथा निर्णीत इसके नाम से निधियां उठाने तथा पूर्ण स्वामित्व या पट्टा आधार पर चल तथा अचल सम्पत्ति खरीदने के लिए सक्षम होगी।
- प्रबन्ध समिति सोसाइटी से सम्बन्धित या इसमें निहित सभी अचल सम्पत्तियों तथा चल परिसम्पत्तियों का सम्पूर्ण प्रमार रखेगी तथा इन्हें ऐसी टीति में प्रबन्धित फरेगी जैसा यह सोसाइटी के प्रबन्ध समिति के सम्पूर्ण नियन्त्रण तथा निर्देशन के अध्यक्षीन उचित समझे।
- 4. प्रबन्ध समिति जो वह सोसाइटी के सर्वोत्तम हित में उपित समझे, में निवियां निवेश करने के लिए सक्षम होगी तथा यह निर्णीत रीति में सोसाइटी की और से सम्पत्तिवां उथार लेने या गिरवी रखने या बंधक रखने के लिए सक्षम होगी।
- ऐसे कृत्यों को जो समय-समय पर सीपे जाएं, की देखभाल करने के लिए विभिन्न स्थाई या तदर्थ समितियां गठित करना।
- लिपिकीय, लेखा तथा अन्य कृत्यों की देखमाल करने के लिए सोसाइटी के नियमित या अंशकालिक कर्मचारियों को लगाने के लिए प्रबन्ध समित करना।
- बाहरी स्रोत से कतिपय कृत्य करना अर्थात् सोसाइटी के परिसरों की सफाई सुरक्षा तथा समरूप अन्य रखरखाव गतिविधियां।

12. प्रबन्ध समिति की निर्वाचन अवीच तथा चैनान प्रक्रिया :

- 1. प्रयन्य समिति को सार्थकार अवस्थित वर्ष होगी।
- 2. प्रबन्ध समिति विद्यापनों को स्वेश्याने के लिए निर्वाचन की अनुसूची धोषित करेगी तथा रिटर्निंग अधिकारी बिद्युक्त करेगी स्था निर्वाचनों को करवाने के लिए सामान्य बैठक बुलाने के लिए कम से कम को दिन पूर्व मत के हकदार आमसभा के सदस्यों की सूची भी अधिसूचित/प्रदर्शित करेगी। प्रबन्ध समिति तिथि, समय तथा रीति सूचित करते हुए सभी सदस्यों को प्रबन्ध समिति के निर्वाचन करवाने के लिए नीटिस भी भेजेगा। प्रबन्ध समिति के लिए निर्वाचन करवाने के लिए नीटिस भी भेजेगा। प्रबन्ध समिति के लिए निर्वाचन करवाने के सम्बन्ध में सूचना जिला रजिस्ट्रार को पर्यादेशक नियुक्त करने के लिए भी भेजेगा, यदि वह ऐसी इच्छा करे।

इहम्मा:

यागुन सित

गाउँ स् राज्य

विभेन्द्र प्रसाद

- अस्त को लिए हकदार सोसाइटी के सदस्यों की सूची के रूप में किसी आयोप का सोसाइटी के पदाधिकारियों के साथ परामर्श से रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्णात किया जाएगा। तथापि, रिटर्निंग अधिकारी का निर्णाय राग की किसी भिन्नता की घटना में अन्तिम होगा। उसके बाद रिटर्निंग अधिकारी प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों तथा कार्यकारी सदस्यों के निर्याचन के लिए निर्वाचन की अनुसूची, नामांकन की संवीक्षा तथा वापसी, यदि कोई हो में विहित अवधि के भीतर दायर किए जाने के लिए नामांकन आमंत्रित करेगा।
- 4. रिटर्निंग अधिकारी सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पर चुनाव लड़ने वाले सदस्यों की सूची प्रदर्शित करेगा। रिटर्निंग अधिकारी अधिसूचित तिथि को निर्वाचन करवाएगा। मत के लिए पात्र सदस्य की स्वयं तथा जहां कही विवाद हो, सोसाइटी द्वारा जारी पहचान पत्र की प्रस्तृति पर अपना मत डालने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।
- मतदान की तिथि को समय की समादि के बाद, रिटर्निंग अधिकारी परिणाम घोषित करेगा तथा सोसाइटी की प्रबन्ध समिति गठित करेगा। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा विधिवत हस्तामरित प्रबन्ध समिति के निर्वाधिक पदाधिकारियों तथा कार्यकारी सदस्यों की सूबी तीस दिन के भीतर जिला रजिस्ट्रार के पास प्रेषित करेगा, जो अपनी सन्तुष्टि पर उसका अपना अनुमोदन प्रदान करेगा।
- सोसाइटी के पदायिकारी सोसाइटी की सेवाएं देने के लिए किसी पारिश्रमिक के लिए हफदार नहीं होंगे।

प्रबन्ध समिति के सदस्यों की सदस्यता की समापित :

प्रवन्य समिति के पदाधिकारी, कार्यकारी सदस्य के रूप में नहीं रहेंगे :

- क) उसके त्यागपत्र प्रस्तुत करने तथा स्वीकृति पर ;
- ख) यदि यह इन उप विधियों को खण्ड 4 को उपखण्ड (8) को अनुसार सदस्य को रूप में नहीं रहा है :
- ग) यदि उसे आमसभा की बैठक में पारित संकल्प द्वारा हटाया जाता है।

14. प्रयन्य समिति की किसी आकरिमक रिकित को मेरनो :
प्रयन्य समिति के किसी सदस्य के जिए प्रयन्त की मृत्यु के जारण या किसी अन्य कारण से उत्पन्न
कोई रिकित सोसाइटी की आगामी प्रार्थिक समिति द्वाराह मेरी तक तदर्थ आधार पर प्रयन्य समिति
के सदस्यों में से, यदि अपेकित हो अपन्य समिति द्वाराह मेरी जा सकती है। प्रयन्य समिति के ऐसे
तदर्थ सदस्य आगामी वार्षिक सामान्य प्रवक्त समिति की प्रयन्य समिति के सदस्य के रूप में
समाप्त हो जाएगा, यदि उसकी नियुक्ति प्रयन्य समिति की शेष अवधि के लिए बहुमत द्वारा वार्षिक
सामान्य बैठक में अनुमोदित नहीं की जाती है।

द्राजमश्र

THE THE

प्राटन में राजेश Tayon'

15. प्रबन्ध समिति के व्यक्तिगत सदस्यों की शक्तियाँ, कृत्य तथा कर्ताव्य :

क) प्रधान :

- आमसभा तथा प्रबन्ध समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना तथा ऐसी बैठकों की कार्यवाहियां नियन्त्रित करना।
- सभी ऐसे कार्य, कर्म तथा काम करना जैसा समय-समय पर आगसमा तथा / या प्रबन्ध समिति द्वारा प्राधिकृत किया जाए।
- किसी मामले पर विचार विमर्श को अनुद्धात या अस्वीकार करना जो एजेंडे में शामिल नहीं किया जाता है।
- सोसाइटी / प्रबन्ध समिति द्वारा पारदर्शी कृत्य करना सुनिश्चित करना।
- हरियाणा सोसाइटी रिजर्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 तथा इसके
 अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों की कड़ी अनुपालना सुनिश्चित करना।
- सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की सम्पूर्ण गतिविधियों/उपलब्धियों का पर्यवेक्षण तथा गाइड करना।

ख) उप-प्रधान :

- प्रधान को उनके कर्तव्यों को करने में सहायता करना।
- प्रधान की अनुपरिधित में प्रधान की ओर से कार्य करना तथा सभी कर्तव्यों को पूरा करना तथा सभी राक्तियों का प्रयोग करना।
- सभी ऐसे कार्य करना जैसा प्रबन्ध समिति द्वारा प्राधिकृत किया जाए।

ग) सचिव :

- सोसाइटी के सभी कार्यों को करना, संघटित करना, पर्यवेदाण तथा प्रबन्ध करना तथा सोसाइटी के कार्य के लिए सभी ऐसे कार्य करना तथा सभी ऐसे कर्तव्य पूरे करना जो प्रधान / प्रबन्ध समिति द्वारा सींपे जाएं ;
- प्रबन्ध समिति के सम्मुख सोसाइटी की सदस्यता के लिए आवेदन प्राप्त करना, संवीक्षा करना, रखना तथा सदस्य का नाम उसके आद्यक्षर के अधीन सदस्यों के रिजस्टर में, यदि अनुमोदित हो, दर्ज करना तथा उसके बारे में सदस्यों को सूचित करना तथा इस प्रकेशि शामिक किए गए सदस्यों को पहचान पत्र जारी करना :
- प्रधान की सहमति से आमसेगों हो। प्रबन्ध समिति की बैठक आयोजित करना तथा
 इन उपविधियों के अधीव यथा विहित उचित नोटिस तामील करना।
- आमसमा या प्रयन्य समिति की सभी बैठकों में हाजिर होना तथा बैठकें करने में प्रधान की संहोधता करना तथा सभी बैठकों को कार्यवाहियों का रिकार्ड करना।
- 5. सोसाइटी की व्यक्ति रिपोर्ट तैयार करना तथा वार्षिक सामान्य बैठक में आम सभा को सम्मुख उसे रखने की अनुमोदन के लिए सोसाइटी को लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों सहित प्रबन्ध समिति को सम्मुख उसे रखना।

इहम्माः

after file

राज में राजा

guardi Mare ven

- सोसाइटी / प्रयन्थ समिति का रिकार्ड रखना तथा परिरक्षण करना।
- सोसाइटी के सम्पूर्ण कार्यों की देखभाल करने तथा सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उद्देदश्यों को प्राप्त करने में प्रधान की सहायता करना तथा सहयोग देना।
- 8. जिला रजिस्ट्रार के कार्यालय में सभी वैधानिक विवरणी/दस्तावेजों तथा ऐसे अन्य प्राधिकारी को समय पर दायर करना सुनिश्चित करना जो हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन विहित किए जाएं।
- सोसाइटी की सामान्य मुद्रा की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए अभिरक्षक होना तथा
 प्रबन्ध समिति के अनुमोदन के अनुसार जहाँ कहीं अपेक्षित हो, उसे लगाना।
- 10. सोसाइटी / प्रबन्ध समिति की ओर से पत्राचार करना तथा उसकी ओर से पत्राँ तथा कागजों पर हस्ताक्षर करना तथा सुनिरिचत करना कि सभी वैधानिक रिजस्टर तथा रिकार्ड को उचित रूप से रखे तथा अनुरक्षित किए जा रहे हैं।
- निर्वाचन तथा वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि की घोषणा से पूर्व मत के लिए पात्र सदस्यों की सूची तैयार, विधिवत अद्यतन करना तथा प्रबन्ध समिति के सम्मुख इसे रखना।
- 12. सोसाइटी के सभी कार्यक्रमों के प्रशासन तथा निष्पादन के सम्पूर्ण प्रभारी के रूप में कार्य करना, जिसमें पदों का सृजन, वेतन, पारिश्रमिक, भतों इत्यादि का नियतन, अमले की नियुक्तियां करने, लगाने, खरीद करने सहित प्रबन्ध समिति की ओर से वित्तीय कार्य शामिल हैं तथा सभी अन्य ऐसे काम करना जो समय समय पर प्रबन्ध समिति द्वारा प्रत्यायोजन के अनुसार सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के प्रोत्साहन में आवश्यक हों तथा जहां कोई भी ऐसा प्रत्यायोजन सोसाइटी के प्रधान के प्रशास से विशिष्ट रूप से नहीं किया जाता है।

घ) कोषाध्यक्ष :

- सोसाइटी के सभी वित्तीय संव्यवहारों तथा सोसाइटी द्वारा प्राप्त तथा खर्च की गई सभी राशियों के लेखे रखना तथा ऐसे मामलों से सम्बन्धित तथा परिसम्पति जमा तथा दायित्वों की प्राप्तियों तथा खर्चों के रिकार्ड रखना ;
- प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष की समापित पर प्रयन्ध समिति द्वारा नियुक्त चार्टर्ड लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित सोसाइटी के लेखे प्राप्त करना ;
- वार्षिक सामान्य बैठक की लिथि से कम से कम एक मारा पूर्व लोसाइटी के लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे महासचिव के माध्यम से प्रबन्ध समिति को प्रस्तुत करना:
- सोसाइटी की सभी लेखा पुस्तकों, वित्तीय विवरणी, रसीद पुस्तकों, व्यय वाउचरों,
 वैंक पास बुक तथा चैक बुक, नकदी इत्यादि के सम्पूर्ण अभिरक्षक के रूप में कार्य करना।

क्षाम्

and the

द्राधा र्म राजा

सोसाइटी के नियोजन से अपवर्जन :

- क) सोसाइटी का कोई भी सदस्य सोसाइटी के पूर्णकालिक या अंशकालिक नियोजन में नहीं रहेगा :
- ख) प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों तथा सदस्यों का कोई भी आश्रित या पारिवारिक सदस्य या निकट सम्बन्धी उसकी अवधि के दौरान सोसाइटी के कर्मचारी के रूप में नहीं लगाया जाएगा :
- ग) प्रबन्ध समिति का प्रत्येक पदाधिकारी तथा सदस्य घोषणा करेगा, यदि सोसाइटी के नियोजन में कोई व्यक्ति उसका निकट सम्बन्धी है।

17. सोसाइटी की परिसम्पति तथा निधियों का प्रबन्धन :

- सोसाइटी की आय के स्रोतों में सदस्यता फीस, वार्षिक अंशदान, सम्पति/परिसम्पत्ति से किराया, ब्याज, परामर्श फीस, दान, उपहार, अनुदान इत्यादि के मदे प्राप्तियां शामिल होंगी। सोसाइटी इसके सदस्यों से ब्याज मुक्त लघु अवधि के द्वारा था ब्याज पर अनुस्चित बैंक से भी निधियां ले सकती हैं। ब्याज पर अनुस्चित बैंक से कर्ज केवल पूंजीगत परिसम्पत्ति के सृजन की खरीद के लिए लेगी तथा न कि किन्हीं परिस्थितियों के अधीन किसी आवर्ती राजस्व ब्यय को पूरा करने के लिए होंगी।
- प्रबन्ध समिति वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान इसकी अनुमानित आय तथा पूंजीगत तथा राजस्व खर्च के आधार पर सोसाइटी के वार्षिक बजट तैयार करेगा तथा अनुमोदन करेगा तथा सूचना के लिए वार्षिक सामान्य बैठक में सामान्य निकाय के सम्मुख उसकी प्रति भी रखेगा।
- सोसाइटी के बैंक लेखे ऐसे सदस्यों / पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किये जाएंगे जो समय-समय पर प्रबन्ध समिति द्वारा निर्णीत किया जाए।
- सभी परिसम्पति तथा निधियों सोसाइटी से सम्बन्धित होंगी तथा सोसाइटी में निहित
 होंगी।
- 5. सोसाइटी की सभी प्राप्तियां तथा भुगतान बैंक दस्तावेजों के माध्यम से किए जाएंगे अर्थात् डी.डी. / पे-आर्डर / बैंक / बैंक ट्रांस्कृत प्राप्ति अप टी जी एस जिसमें सदस्यों से सदस्यता फीस तथा वार्षिक अंशदान की ओर सभी एपिन्सा शामिल हैं। तथापि प्रबन्ध समिति वित्तीय संव्यवहार की सीमार्ग भी पिनिस्तार सकता है जो कतिपय अन्य मामलों में नकद में की जा सकती हैं।

18. सोसाइटी के लेखे :

1. सोसाइटी का खनांची आयकर किल्लिक्सिकिया किसी अन्य प्राधिकार के अधीन यथा अपेक्षित उदित लेखा पुस्तकों अर्थात रोकड बही, लेजर इत्यादि को रखने तथा अनुरक्षण करने के लिए जिम्पेबार होगा जिसमें सोसाइटी द्वारा प्राप्त तथा खर्च धन की सभी राशियों तथा सोसाइटी की परिसम्पत्ति तथा दायित्वों के सम्बन्ध में इसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर भारत की चार्टर्ड लेखाकार की संस्था शामिल हैं।

enazer.

almades.

216) IT

विवस्ति प्रसाव

 सोसाइटी की लेखा पुस्तकें सोसाइटी के महा रिजस्ट्रार, रिजस्ट्रार, जिला रिजस्ट्रार था उन द्वारा प्रापिकृत किसी अधिकारी द्वारा तथा किसी सदस्य द्वारा कारबार समय के दौरान निरीक्षण के लिए खुली रखी जाएगी।

सोसाइटी के वार्षिक लेखे सोसाइटी के किसी दो प्राधिकृत पदाधिकारियाँ द्वारा हस्ताबारित

किए जाएंगे।

या प्रवन्त समिति ऐसे पारिश्रमिक पर जो प्रवन्ध समिति द्वारा अवधारित किया जाए प्रत्येक िर्त वर्ष के लिए सोसाइटी के लेखों की लेखा परीक्षा तथा आवकर विवरणी को दायर करने के लिए चार्टर्ड लेखाकार को नियुक्त करेगा, जो प्रवन्ध समिति का सदस्य या प्रवन्ध समिति के किसी सदस्य का पारिवारिक सदस्य नहीं होगा।

19. बैंक खाता का संचालन :

सोसाइटी के उद्देश्यों की पूर्ति हेतू प्राप्त धनराशि की सुरक्षा हेतू सोसाइटी के नाम से किसी भी राष्ट्रीयकृत, प्राईवेट बैंक या डाकघर में खाता संघातित होगा और उस खाते में ही सारी धनराशि जमा की जाएगी। खाते का संघालन संयुक्त हस्ताक्षरों से ही होगा जिसमें प्रधान, सचिव तथा कोषाध्यक्ष प्रमुख होंगे। किसी दो वो संघयत हस्ताक्षरों से खाते का संघालन होगा।

20. सोसाइटी के संगम ज्ञापन, उपविधियों नाम इत्यादि में संशोधन :

सोसाइटी के संगम ज्ञापन तथा उपविधियों या नाम का परिवर्तन, समामेलन या विभाजन में कोई संशोधन विशेष संकल्प के द्वारा केवल आम सभा के अनुमोदन से किया जाएगा। अपेक्षित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति सिहत किसी ऐसे संशोधन या परिवर्तन की सूचना ऐसे समय के भीतर सिविव द्वारा जिला रिजेस्ट्रार के कार्यालय में दायर की जायेगी जो हरियाणा सोसाइटी रिजेस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों में विहित की जाए।

21. सामान्य मुद्रा :

सोसाइटी को पास एक सामान्य मुख्य होते जो स्मूचिव की सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाएगी तथा प्रबन्ध समिति द्वारा अनुमदिष्ठ के अनुस्तिक जहां कि चह अपेक्षित हो , लगाई जाएगी।

22. सोसाइटी का समामेलन :

सोसाइटी खर्च को एक समान लक्ष्यों तथा उद्देश्यों सिहत स्थापित किसी अन्य सोसाइटी में समामेलित कर सकती है या अधिनियम की घारा 51 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के नियम 25 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार इस निमित्त पारित विशेष संकल्प द्वारा स्वयं में समामेलित करने के लिए किसी अन्य सोसाइटी को अनुझात कर सकती है।

क्रमशः

ultim files

NGH

विजेन्द्र प्रसाद

28. सोसाइटी का विघटन :

- सोसाइटी अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों में अनींष्ट उपवन्तों के अनुसार स्वयं का विघटन करने के लिए प्रस्ताव कर सकती है। यदि सोसाइटी की प्रक्रिया को चलाना कठिन हो जाता है, या वह दिवालिया हो जाती है या किसी अन्य दबाब तथा अपरिहार्य कारणों से इसे बलाना कठिन हो जाता है।
- सोसाइटी के विघटन की घटना में, सोसाइटी की कोई भी परिसम्पत्ति सोसाइटी के सदस्यों में वितरित नहीं की जाएगी ;
- इसकी परिसम्पति तथा लम्पतियां पहले किसी दायित्व को निर्धारित करने के लिए प्रयाग की जाएगी तथा छोड़ी गई सम्पृतियां / परिसम्पृतियां, यदि कोई हो, समरूप लक्ष्यों तथा उदेश्यों सहित स्थापित किसी अन्य सोसाइटी को या साधारण लोकहित में उसके प्रयोग के लिए जिला कलैक्टर को अन्तरण के लिए विद्यारी जाएगी।

हम. विभिन्न व्यक्ति जिनके नाम तथा पते इसके नीचे अभिदत हैं, सोसाइटी को उप-विधियों की सहीं प्रति के रूप में उतन को प्रमाणित करते हैं –

क्र.सं. १	नाम व पिता का नाम	पता	व्यवसाव	पदनाम	हस्ताक्षर
7. 7	योगेन्द्र सिंह पुत्र	गांव व डाका गहलब	वकालत	प्रधान	OZ)
9	भी सेमराज	जिला पलवल (हरियाणा)		200000000000000000000000000000000000000	School
2, 7	पतवीर सिंह पुत्र	गांव व डाका० गहलब	रिटासर्ड	उपप्रधान	2111
3	भी हरचन्दी	जिला पलवल (हरियाणा)			Transetra
3. ₹	शजेश पुत्र	गांव व डाक० गहलब	समाजसेवा	सचिव	. 11351
å	मी हरप्रसाद	जिला पलवल (हरियाणा)		311	7
4. f	विजेन्द्र गसाद पुत्र	वार्ड न०-६, हथीन	अच्यापक	कोषाध्यक्ष	120
8	म डिज्लन राम	जिला पलपुटा (हरियाणा)	200000000	-00000000000000000000000000000000000000	Constant
5. e	दुनील पुत्र	गाव व डाकव महलव	कृषि	सदस्य	HART B
5	ी दिवान सिंह	जिला पलवल (तरियापत)			
5. f	ीव कुमार पुत्र	गांचे व डाफेव गहलव	कृषि	सरस्य	Stok
2)	ी अहलाद	जिला प्रलास (हरियाणा)	63300	120	0 0
7. 2	गिन्त्र सिंह पुत्र	गाव व डांकण गहलब	कृषि	सदस्य	11 00 00
32	ी अवतार सिंह	जिला पलवल (हरियाणा)	- Anna	LIVE	ogestie

Certified to be true

Distt Registrar Firms & Societi-Palwal (Harve